



पत्रांक- 911

/वा०नि०-1/

दिनांक-26/03/2024

सेवा में,

मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०,  
शालीमार टाइटेनियम, 6<sup>th</sup> फ्लोर,  
608, 609, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।



**विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-11/जी०एच०-07, वृन्दावन योजना, लखनऊ के स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,


उपरोक्त विषयक कृपया परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-11/जी०एच०-07 के स्वीकृत मानचित्र कार्यालय पत्रांक-2387/दिनांक-18-11-2014 तथा पुनरीक्षित मानचित्र पत्रांक-743 दिनांक-08-04-2019 द्वारा निर्गत है जिनकी वैधता अवधि दिनांक-17-11-2019 को समाप्त होने के फलस्वरूप समय अवधि बढ़ाये जाने हेतु आपके द्वारा पूर्व में ऑनलाईन पोर्टल पर फाईल संख्या-UPAVP/BP/23-24/0569 एवं वर्तमान में फाईल संख्या-UPAVP/BP/24-25/1739 के माध्यम से आवेदन किया गया है।

आपका समयवृद्धि बढ़ाये जाने का प्रकरण उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-17-08-2023 एवं 06-10-2023 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित होने के फलस्वरूप परन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर नवीनीकरण पत्र का प्रारूप त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऑफलाईन समयवृद्धि पत्र निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है:-

**नियम व शर्त:-**

- कार्यालय द्वारा पूर्व स्वीकृत मानचित्र जो इस कार्यालय के पत्रांक-2387/दिनांक-18-11-2014 तथा संशोधन सहित पुनरीक्षित मानचित्र पत्रांक-743 दिनांक-08-04-2019 द्वारा निर्गत है, की समयवृद्धि दिनांक-18-08-2023 से दिनांक-17-08-2026 तक 03 वर्ष हेतु सशुल्क प्रदान की जाती है।
- भूमि के सापेक्ष देय धनराशि की वसूली हेतु भूखण्ड के भाग एवं उस पर निर्मित किये जाने वाले फ्लैटों को बंधक किया गया है। निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ वैध रहेगी कि निर्माण के उपरान्त फ्लैट का कब्जा परिषद को प्राप्त कराया जाना होगा। विकासकर्ता द्वारा भूमि के विरुद्ध भुगतान किये जाने की दशा में भूमि एवं फ्लैटों को समानुपातिक रूप से बंधकमुक्त किया जा सकेगा।
- पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देयता/शुल्क परिषद खाते में जमा किये जाने होंगे।

4. मानचित्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
5. शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत स्वीकृत पत्र दिनांक-18-11-2014 के अनुसार ही मान्य होगी।

  
( डा० बलकार सिंह )  
आवास आयुक्त

पृ०सं० :                      /उक्त/

दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त ऑफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-02, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक(वृन्दावन योजना), ऑफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

  
आवास आयुक्त



पत्रांक- 911

/वा०नि०-1/

दिनांक-26/03/2024

सेवा में,

मैसर्स डिजर्व बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा०लि०,  
शालीमार टाइटेनियम, 6<sup>th</sup> फ्लोर,  
608, 609, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।



**विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-11/जी०एच०-07, वृन्दावन योजना, लखनऊ के स्वीकृत मानचित्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया परिषद की वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-11/जी०एच०-07 के स्वीकृत मानचित्र कार्यालय पत्रांक-2387/दिनांक-18-11-2014 तथा पुनरीक्षित मानचित्र पत्रांक-743 दिनांक-08-04-2019 द्वारा निर्गत है जिनकी वैधता अवधि दिनांक-17-11-2019 को समाप्त होने के फलस्वरूप समय अवधि बढ़ाये जाने हेतु आपके द्वारा पूर्व में ऑनलाईन पोर्टल पर फाईल संख्या-UPAVP/BP/23-24/0569 एवं वर्तमान में फाईल संख्या-UPAVP/BP/24-25/1739 के माध्यम से आवेदन किया गया है।

आपका समयवृद्धि बढ़ाये जाने का प्रकरण उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-17-08-2023 एवं 06-10-2023 में प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित होने के फलस्वरूप परन्तु ऑनलाईन पोर्टल पर नवीनीकरण पत्र का प्रारूप त्रुटिपूर्ण होने के कारण ऑफलाईन समयवृद्धि पत्र निम्नानुसार शर्तों के अधीन निर्गत की जाती है:-

#### नियम व शर्तें:-

1. कार्यालय द्वारा पूर्व स्वीकृत मानचित्र जो इस कार्यालय के पत्रांक-2387/दिनांक-18-11-2014 तथा संशोधन सहित पुनरीक्षित मानचित्र पत्रांक-743 दिनांक-08-04-2019 द्वारा निर्गत है, की समयवृद्धि दिनांक-18-08-2023 से दिनांक-17-08-2026 तक 03 वर्ष हेतु सशुल्क प्रदान की जाती है।
2. भूमि के सापेक्ष देय धनराशि की वसूली हेतु भूखण्ड के भाग एवं उस पर निर्मित किये जाने वाले फ्लैटों को बंधक किया गया है। निर्माण की अनुमति इस शर्त के साथ वैध रहेगी कि निर्माण के उपरान्त फ्लैट का कब्जा परिषद को प्राप्त कराया जाना होगा। विकासकर्ता द्वारा भूमि के विरुद्ध भुगतान किये जाने की दशा में भूमि एवं फ्लैटों को समानुपातिक रूप से बंधकमुक्त किया जा सकेगा।
3. पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने से पूर्व भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देयता/शुल्क परिषद खाते में जमा किये जाने होंगे।

4. मानचित्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा।
5. शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत स्वीकृत पत्र दिनांक-18-11-2014 के अनुसार ही मान्य होगी।

  
( डा० बलकार सिंह )  
आवास आयुक्त

पृ०सं० : 911 /उक्त/

दिनांक : 26/03/25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त ऑफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-02, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
3. सम्पत्ति प्रबन्धक(वृन्दावन योजना), ऑफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ।

  
26-03-25  
आवास आयुक्त